12-8-21 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 की तामील हो चुकी है। बार-बार आवाज लगवाई गई हाजिर नहीं आये। अत: इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थिया ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थिया ने वाद पत्र बंटवारा व सफाई किये जाना उनवानी रामप्यारी बनाम मातुराम आदि मु० नं० 154/2017 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। उनवानी वाद पत्र की जानकारी चाही तो प्रार्थिया को बताया गया कि दिनांक 20-9-2020 को मैं न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने के कारण मुकदमे की पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो गई। अत: प्रार्थना पत्र अ० आदेश 9 नियम 4 व सपठित धारा-151 CPC स्वीकार किया जाकर उनवानी मूल वाद पत्र 154/2017 को पुन: नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमावें। उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। गत मूल वाद पत्र के आदेश दिनांक 20-9-19 को अपास्त किया जाकर मूल वाद सं० 154/2017 उनवानी रामप्यारी बनाम मातुराम वगैरा को पुन: नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते है। मूल वाद पत्र नम्बर पर लिया जाकर दिनांक 13-9-21 को न्यायालय में पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.12.23 12:25:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner